न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 19 /2026 (Bank Case)

GCMS NO. – 2026/34

बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद, कोटा (राज.) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी पवन कुमार जिन्दल।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री शावेज फरीद खान पुत्र श्री अब्दुल फारीद खान –(ऋणी / बंधककर्ता)
पता– हीरो होण्डा शोरूम के पिछे, बपावर रोड, सांगोद, कोटा (राज.) 325601
2. श्रीमती सबा पत्नी श्री शावेज फरीद खान (सह–ऋणी)
पता– आरएसईबी कॉलोनी, सांगोद, कोटा–325601
पता– हीरो होण्डा शोरूम के पिछे, बपावर रोड, सांगोद, कोटा (राज.) 325601

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 25 .02.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद, कोटा (राज.) में स्थित हैं, से अप्रार्थी ने दिनांक 03.04.2021 को खाता संख्या 34710600001434 में रूपये 16,22,000/– (अक्षरेः रूपये सोलह लाख बाईस हजार मात्र) एवं खाता संख्या 34710600001435 में रूपये 3,16,000/– (अक्षरेः रूपये तीन लाख सोलह हजार मात्र) इस प्रकार कुल रूपये 19,38,000/– (अक्षरेः रूपये उन्नीस लाख अडतीस हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री शावेद फरीद खान पुत्र श्री अब्दुल फरीद खान के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 09.07.2021 आवासिय मकान सम्पत्ति जो खसरा नं0 1876, हाजी कॉलोनी, सांगोद, तहसील सांगोद, जिला–कोटा (राज.), राजस्थान में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 96.67 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व मेंः शौकत का प्लॉट, पश्चिम मेंः– शौकत का प्लॉट, उत्तर मेंः– रोड, दक्षिण मेंः– सलाम भाई का प्लॉट,** है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.09.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के ऋण खाते मे रू. 19,86,756.24/– (अक्षरे उन्नीस लाख छियासी हजार सात सौ छप्पन रूपये व चौईस पैसे मात्र) दिनांक 09.10.2025 तक बकाया (दिनांक 05.10.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण

राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 09.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 09.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधक **श्री शावेद फरीद खान पुत्र श्री अब्दुल फरीद खान के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 09.07.2021 आवासिय मकान सम्पत्ति जो खसरा नं0 1876, हाजी कॉलोनी, सांगोद, तहसील सांगोद, जिला–कोटा (राज.), राजस्थान में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 96.67 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में: शौकत का प्लॉट, पश्चिम में:– शौकत का प्लॉट, उत्तर में:– रोड, दक्षिण में:– सलाम भाई का प्लॉट,** है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 25 .02.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)